LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
REVISED LIST OF BUSINESS
Monday, 11 June 2018 / 21 Jyeshtha 1940 (*Saka*)
2.00 PM

1. **Question Hour:** Starred Question No. 14,16, 19, 44 & 54 as shown in the separate list to be asked and replies given.

2. **Discussion on Government Resolution (Rule-90) continued :**
Discussion to continue on the following Government Resolution moved by **Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister** on 06 June 2018 :
'Keeping in view the aspirations of the people of Delhi for a better quality of life commensurate with their contribution to the economy;
Also keeping in view the fact that the multiplicity of agencies have created obstacles in the all round development and progress of Delhi as a world class city;
Observing with concern that vested interests with no accountability have manipulated and corrupted the existing system of governance which was guaranteed by the Constitution for the people of Delhi;
Also noting that all the major political parties have supported the idea of full statehood to Delhi in their respective manifestoes;
This House resolves that the National Capital Territory of Delhi should be granted full statehood immediately."

Delhi **C. Velmurugan**
11 June 2018 **Secretary**

List of Starred Question No. 14, 16, 19, 44 & 54.

SQ14- MS. BHAWNA GAUR **REVENUE**

Will the Minister of Revenue be pleased to state:

a) whether it is a fact that plots were allotted under the 20 Point Programme in the Palam Constituency;
b) the details of these allotments including name of the allottees and places where they were allotted;
c) the present number of these plots;
d) whether it is a fact that multi-storeyed buildings have come up in these plots;
e) whether it is also a fact that commercial activities are being undertaken in these plots;
f) if so, whether construction of multi-storeyed buildings and commercial activities are permissible in these plots;
g) if not, the authority who is responsible to issue NOC for these activities;
h) whether the ownership rights of these plots can be transferred; and
i) if so, the process thereof?

SQ16- SHRI SAURABH BHARADWAJ **REVENUE**

Will the Minister of Revenue be pleased to state:

a) Whether it is a fact that from 1997 to 2005 land was acquired by the Government in many villages including Sanoth, Khera Khurd, Holambi Kalan, Shahabad Daulatpur etc.,
b) whether it is a fact that FIRs had been registered in various Police Stations on allegations of fraud, cheating, tampering with revenue records etc., under sections 420, 467, 468, 471, 120B,447, 511,160;
c) if so the details of these FIRs with the names of the accused in each FIR;
d) the details of the government officers/officials named in these FIRS;
e) whether the department has taken any action against the government officers/officials named in these FIRs;
f) whether it is a fact that some of these officers/officials are still posted in the same district in spite of these complaints;
g) if so the reasons thereof;
h) the details of the complaints received from various sources in these matters and the action taken on these complaints;
i) whether the Courts have also passed any decisions against the so-called occupiers for recovery of the compensation amount in these matters'
j) if so, the details of implementation of these decisions and the reasons for delay in its implementation, if any;
k) the complete details of court cases pending in various courts including the total area of land in dispute and the amount in dispute; and
l) the village-wise details of objections on compensation filed by third parties, other persons and so-called occupiers?

SQ19- SHRI SURENDER SINGH **EDUCATION**

Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:

a) by when the smart card identity cards will be issued to the Delhi Government School students;
b) by when the vacant posts in government schools will be filled up;
c) by when the posts of principal will be filled up by promotion;
d) the details of action proposed for regularisation of guest teachers;
e) whether there is any provision for appointment of teachers against vacant posts by the SMCs;
f) if so, the details therof?

SQ44- SHRI SURENDER SINGH **SERVICES**

Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:

a) the details of the posts lying vacant in the various departments of the Government;
b) whether the government has issued any order or guidelines to fill up these vacancies;
c) if so the steps being taken to fill up this vacancies; and
d) by when these posts will be filled up?

SQ54- COL. DEVINDER SEHRAWAT **LAND AND BUILDING**

Will the Minister of Land and Building be pleased to state:

a) the details of the policy of the government for rehabilitation of farmers whose land has been acquired;
b) the size of the plot being allotted to such farmers;
c) whether the neighbouring states of Uttar Pradesh and Haryana are providing larger plots as compensation;
d) if so the reasons for this discrimination against the farmers of Delhi;
e) the details of the farmers who are awaiting plots as compensation for land acquired;
f) the village-wise details of the famers in New Delhi and South West District who are awaiting compensatory plots;
g) the details of meetings convened to resolve this problem;
h) the percentage of farmers who have been actually provided plots against the number of plots to be provided;
i) whether it is a fact that this work of allotment of compensatory plots has been transferred to respective districts;
j) whether there is any proposal to involve the area MLAs in this process of providing alternative plots as compensation; and
k) if not the reasons thereof?

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
संशोधित कार्यसूची
सोमवार, 11 जून, 2018 / ज्येष्ठ 21, 1940 (शक्)
2.00 बजे अपराह्न

1. **प्रश्न कालः** पृथक् सूची में दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 14, 16, 19, 44 एवं 54 पूछे जायेंगे और उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. **सरकारी संकल्प (नियम–90) पर चर्चा जारी :**
श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 06 जून, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा होगीः

'' बेहतर जीवन–गुणवत्ता के लिए दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं के दृष्टिगत और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के अनुरूप;

इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि निकायों की बहुलता ने विश्व–स्तरीय शहर के रूप में दिल्ली के चहुँमुखी विकास तथा प्रगति में बाधा पहुँचाई है;

यह चिंताजनक रूप से अवलोकन करते हुए कि उत्तरदायित्व–विहीन निहित स्वार्थों ने शासन की उस विद्यमान व्यवस्था को छल–योजित और विकृत किया है, जिसे दिल्ली के लोगों के लिए संविधान द्वारा संरक्षित किया गया था;

यह भी ध्यान देते हुए कि दिल्ली के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्रों में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के विचार का समर्थन किया है;

यह सदन संकल्प करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को तत्काल पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाये।''

दिल्ली
11 जून, 2018

सी. वेलमुरूगन
सचिव

तारांकित प्रश्न संख्या 14, 16, 19, 44 एवं 54 की सूची

ता.14 सुश्री भावना गौड़ **राजस्व**

क्या राजस्व मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भू–खण्डों का आबंटन किया गया था;

ख) इन आबंटनों का आबंटियों के नाम व जिन स्थानों पर ये आबंटन किए गए, सहित पूर्ण विवरण क्या है;

ग) वर्तमान में इन भू–खण्डों की संख्या क्या है;

घ) क्या यह सत्य है कि इन भू–खण्डों पर बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया गया है;

ड.) क्या यह भी सत्य है कि इन भू–खण्डों पर व्यवसायिक गतिविधि चलाई जा रही है;

च) यदि हां, तो क्या इन भू–खण्डों पर बहुमंजिला भवनों का निर्माण व व्यवसायिक गतिविधियों की इजाजत है;

छ) यदि नहीं, तो इन गतिविधियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है;

ज) क्या इन भू–खण्डों के मालिकाना हक स्थानांतरित किए जा सकते हैं; और

झ) यदि हां, तो इसकी क्या प्रक्रिया है?

ता.16 श्री सौरभ भारद्वाज **राजस्व**

क्या राजस्व मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 1997 से 2005 के दौरान सरकार द्वारा सनोट खेड़ा खुर्द, होलम्बी कलां, शाहबाद दौलत पुर सहित अनेक गांवों में भूमि का अधिग्रहण किया गया;

ख) क्या यह सत्य है कि धोखाधड़ी, चीटिंग, राजस्व रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ इत्यादि आरोप लगाते हुए विभिन्न पुलिस थानों में धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 447, 511, 160 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई हैं;

ग) यदि हां, तो इन एफआईआर्स का प्रत्येक एफआईआर में दर्ज अभियुक्त के नाम सहित विवरण क्या है;

घ) इन एफआईआर में दर्ज सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण क्या है;

ड.) इन एफआईआर में नामित सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई है;

च) क्या यह सत्य है कि इनमें से कुछ अधिकारी/कर्मचारी शिकायत किए जाने के बावजूद उसी जिले में पदापित हैं;

छ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

ज) इन मामलों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों का विवरण क्या है और उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई;

झ) क्या न्यायालयों द्वारा भी इन मामलों में इन तथाकथित ऑक्युपायर्स के विरूद्ध मुआवजा राशि की वसूली के कोई आदेश जारी किए गए हैं;

ञ) यदि हां, तो इन आदेशों के क्रियान्वयन का विवरण क्या है और इनके क्रियान्वयन में देरी, यदि कोई है, के क्या कारण हैं;

ट) विभिन्न न्यायालयों में लंबित कोर्ट केसों का कुल विवादित भूमि और विवादित राशि सहित पूर्ण विवरण क्या है; और

ठ) तीसरी पार्टियों, अन्य व्यक्तियों व तथाकथित ऑक्युपायर्स द्वारा मुआवजे पर दर्ज की गई आपत्तियों का गांव वार विवरण क्या है?

ता.19 श्री सुरेन्द्र सिंह **षिक्षा**

क्या उप–मुख्यमंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

क) दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्मार्ट कार्ड पहचान पत्र कब तक जारी कर दिए जाएंगे;

ख) सरकारी स्कूलों में रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे;

ग) प्रमोशन के द्वारा प्रधान अध्यापकों के पद कब तक भर दिए जाएंगे;

घ) अतिथि अध्यापकों के नियमतिकरण के लिए प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण क्या है;

ड.) क्या एसएमसी के द्वारा अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का कोई प्रावधान है; और

च) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

ता. 44 श्री सुरेंदर सिंह **सेवाएं**

क्या उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

क) सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं;
ख) क्या सरकार ने इन पदों को भरने के लिए कोई आदेश या दिशा निर्देश जारी किए हैं;
ग) यदि हां, तो इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
घ) ये पद कब तक भर दिए जाएंगे?

ता. 54 श्री कर्नल देविंदर सहरावत **भूमि एवं भवन**

क्या भूमि एवं भवन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

क) जिन किसानों की ज़मीन अधिगृहीत कर ली गई है उनके पुनर्वास हेतु सरकार की नीति का विवरण दें;
ख) ऐसे किसानों को आबंटित किए जाने वाले भू–खंडों का क्षेत्रफल क्या है;
ग) क्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्य क्षतिपूर्ति हेतु अधिक बड़े भू–खंड दे रहे हैं;
घ) यदि हां, तो दिल्ली के किसानों के साथ इस भेदभाव के क्या कारण हैं;
च) जो किसान अधिगृहीत भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में भू–खंड आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका विवरण दें;
छ) नई दिल्ली और दक्षिण–पश्चिमी दिल्ली के जो किसान क्षतिपूर्ति हेतु भूखण्ड आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनका ग्रामवार विवरण दें;
ज) इस समस्या के समाधान हेतु बुलाई गई बैठकों का विवरण दें;
झ) जिन किसानों को भू–खंडों का आबंटन किया जाना है उनकी तुलना में जिन्हें वास्तव में आबंटन किया जा चुका है उन किसानों का प्रतिशत क्या है;
ट) क्या यह सत्य है कि क्षतिपूर्ति भू–खंड आबंटन का यह कार्य संबंधित ज़िलों में स्थानांतरित कर दिया गया है;
ठ) क्या भू–खंड आबंटन की इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय विधायक को भी शामिल करने का कोई प्रस्ताव है, और
ड) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?